



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 18, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1FY27) में खुदरा उपभोग के रुझान और दृष्टिकोण.....	2
2. भारत में यूपीआई (UPI) का लोकतंत्रीकरण और स्थानिक विस्तार.....	4
3. केरल का नाम बदलने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति	5
4. कावेरी जल बंटवारे पर सर्वोच्च न्यायालय ने 'देखें और प्रतीक्षा करें' (Wait and Watch) की नीति अपनाई	7
5. कर्नाटका ने खाद्य सुरक्षा के लिए 'ईट राइट' (Eat Right) अभियान शुरू किया	8
6. सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक मामले लंबित: एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट.....	9
7. इसरो (ISRO) GISAT-1A के प्रक्षेपण के साथ परिचालन विराम समाप्त करेगा	11
8. रुपये की उधार ली गई राहत की सांस: FCNR(B) स्वैप और बाह्य क्षेत्र के जोखिम.....	12
9. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADC): वापसी के बजाय सुधार	14
10. नासा (NASA) के मून बेस प्रोग्राम में भारत के रणनीतिक लाभ.....	15
11. खान और खनिज विधेयक पर केंद्र-राज्य विवाद	17
12. 'निरर्थक' (Frivolous) उद्योगों पर कर लगाने से भारत के विज्ञान को वित्तपोषित नहीं किया जा सकेगा	18



1. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1FY27) में खुदरा उपभोग के रुझान और दृष्टिकोण

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **ग्रामीण और प्रीमियम क्षेत्र का दबदबा:** ग्रामीण मांग और प्रीमियम एफएमसीजी (FMCG) श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो प्रमुख उपभोक्ता कंपनियों के लिए प्राथमिक विकास इंजन के रूप में उभरी।

- **क्विक कॉमर्स और ड्यूरेबल्स में उछाल:** क्विक-कॉमर्स (Quick-commerce) प्लेटफॉर्मों ने भारी मुनाफा दर्ज किया, जबकि भीषण गर्मी के मौसम ने एयर कंडीशनर जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामानों (consumer durables) की बिक्री को तेजी से बढ़ाया।
- **वैल्यू फैशन का शानदार प्रदर्शन:** परिधान (apparel) और वैल्यू-फैशन खुदरा विक्रेताओं ने सामान्य खुदरा बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि कंपनियों ने उभरती कच्चे माल की मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों की ओर इशारा किया है।
- **मैक्रो ड्राइवर्स और मुद्रास्फीति की चुनौती:** कच्चे तेल की कम कीमतों (\$70-80/बैरल) के कारण सब्सिडी वाले इनपुट लागत और जुलाई की अच्छी बारिश से राहत मिली, लेकिन जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति का बढ़कर 5.52% होना वास्तविक प्रयोज्य आय (real disposable income) के लिए एक चुनौती बना हुआ है।
- **त्योहारों की अवधि और दूसरी तिमाही (Q2) का दृष्टिकोण:** नवंबर तक फैला हुआ त्योहारी सीजन, पोर्टफोलियो पुनर्गठन और अधिक मास (Adhik Maas) के बाद सोने/आभूषणों की मांग में सुधार आने वाली तिमाहियों में मजबूत वृद्धि का संकेत देता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **क्विक कॉमर्स (Q-Commerce):** एक ई-कॉमर्स मॉडल जो पड़ोस के माइक्रो-वेयरहाउस या डार्क स्टोर्स (dark stores) का उपयोग करके अत्यधिक तेज डिलीवरी (आमतौर पर 10-30 मिनट के भीतर) पर केंद्रित है।
- **खुदरा मुद्रास्फीति (CPI):** उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्यों में वृद्धि की दर, जिसे मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ट्रैक किया जाता है।
- **वैल्यू फैशन सेगमेंट:** एक रिटेल बिजनेस मॉडल जो मुख्य रूप से मूल्य के प्रति संवेदनशील मध्यम और निम्न-आय वाले जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित करते हुए उच्च-मात्रा, कम-मार्जिन वाले परिधानों पर केंद्रित होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) वास्तुकला:** संविधान के अनुच्छेद 246A के तहत शासित, जीएसटी परिषद द्वारा अनुशासित दर समायोजन उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने और कच्चे माल की कीमत के झटकों की भरपाई के लिए एक प्रमुख राजकोषीय उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जनादेश:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत लागू किया गया, जो मौद्रिक नीति समिति (MPC) को +/- 2% के सहनशीलता बैंड (tolerance band) के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य पर बनाए रखने का जनादेश देता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और भारत में ई-कॉमर्स संस्थाओं को विनियमित करने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत का खुदरा उपभोग ग्रामीण सुधार और अनुकूल मौसमी कारकों द्वारा समर्थित अंतर्निहित लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। हालांकि, दीर्घकालिक गति को बनाए रखने के लिए निम्न-आय वर्ग की क्रय शक्ति की रक्षा हेतु अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति और इनपुट लागतों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेष रूप से योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, मुद्रास्फीति प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे जैसे विषयों के तहत। घरेलू मांग के रुझानों और समष्टि आर्थिक स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण।

2. भारत में यूपीआई (UPI) का लोकतंत्रीकरण और स्थानिक विस्तार

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- वैश्विक पैमाना और नकदी का प्रतिस्थापन:** यूपीआई ₹314 ट्रिलियन मूल्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन गया है; मासिक यूपीआई लेनदेन मूल्य 2026 के मध्य तक संचलन में मौजूद मुद्रा (CIC) के लगभग 70% तक पहुंच गया।
- मेट्रो हब से परे भौगोलिक विस्तार:** शीर्ष 10 जिलों की लेनदेन मात्रा हिस्सेदारी 2019 के 25.2% से घटकर 2026 की दूसरी तिमाही में 17.4% हो गई, जो टायर-2, टायर-3 और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तेजी से अपनाए जाने को रेखांकित करती है।
- स्वीकृति के आर्थिक निर्धारक:** आरबीआई के अध्ययन बताते हैं कि बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता और कार्यबल का औपचारिकीकरण (formalization) प्राथमिक संरचनात्मक कारक हैं जो भौतिक नकदी पर निर्भरता को कम कर रहे हैं।
- खुदरा व्यापारी एकीकरण में उछाल:** व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) खुदरा भुगतान 2026 की दूसरी तिमाही में कुल मात्रा का 64% हो गया (जो 2021 में 37% था), जिसके साथ औसत मूल्य टिकट का आकार घटा है (₹425), जो दैनिक सूक्ष्म-लेनदेन को दर्शाता है।
- अंतर-राज्यीय संरचनात्मक भिन्नता:** कम समृद्ध राज्यों की तुलना में समृद्ध राज्य शीर्ष जिलों में उच्च लेनदेन संकेंद्रण प्रदर्शित करते हैं, जो व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है।

Bengaluru is the top UPI district, more than twice as big as the next district

Top 10 districts in India by UPI transactions (in ₹ trillion), Q2 2026

Bengaluru Urban (Karnataka)	2.24
Pune (Maharashtra)	1.05
Rangareddy (Telangana)	1.04
Medchal-Malkajgiri (Telangana)	0.90
Jaipur (Rajasthan)	0.72
Hyderabad (Telangana)	0.66
Indore (Madhya Pradesh)	0.33
Gurgaon (Haryana)	0.33
Gautam Buddha Nagar (Uttar Pradesh)	0.33
Thane (Maharashtra)	0.32

Source: PhonePe

mint

आवश्यक परिभाषाएं

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** एनपीसीआई (NPCI) द्वारा विकसित एक त्वरित रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली जो मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेन्ट (P2M) लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।

- **संचलन में मुद्रा (CIC):** किसी विशिष्ट समय पर अर्थव्यवस्था के भीतर जनता, व्यवसायों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई कुल भौतिक नकदी (बैंक नोट और सिक्के)।
- **पर्सन-टू-मर्चेन्ट (P2M) सेगमेंट:** सामान या सेवाओं को खरीदने के लिए व्यक्तिगत खुदरा उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक संस्थाओं या व्यापारियों के बीच सीधे किए गए डिजिटल लेनदेन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को प्राथमिक नियामक प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) जनादेश:** मजबूत खुदरा भुगतान बुनियादी ढांचे को संचालित करने के लिए पीएसएस (PSS) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक शीर्ष संगठन के रूप में स्थापित।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन निर्देश:** धन के संकेंद्रण को रोककर और वित्तीय बुनियादी ढांचे के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 39(b) और (c) का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

नकदी से यूपीआई की ओर संरचनात्मक बदलाव भारत द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के सफल निर्माण को उजागर करता है। विश्व स्तर पर और घरेलू स्तर पर इस प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए शून्य-लागत सूक्ष्म-लेनदेन को बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही डिजिटल चैनलों पर क्रेडिट एकीकरण का विस्तार भी अनिवार्य है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, और मौद्रिक नीति एवं नकद मांग की गतिशीलता के तहत अत्यधिक प्रासंगिक। डिजिटल अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए उपयोगी।

3. केरल का नाम बदलने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिससे आधिकारिक तौर पर केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' कर दिया गया है।
- **सर्वसम्मति से राज्य का प्रस्ताव:** यह परिवर्तन जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों के अनुरूप है, जिसमें केंद्र सरकार से मलयालम में इसकी भाषाई विरासत को दर्शाने के लिए नाम बदलने का आग्रह किया गया था।
- **संसदीय अधिनियम:** राज्य के नामकरण को बदलने के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए, लोकसभा और राज्यसभा ने अगस्त 2026 में नाम बदलने से संबंधित कानून पारित किया।

- **राष्ट्रपति का संदर्भ (Presidential Reference):** संसदीय मंजूरी से पहले, संवैधानिक परंपराओं का सख्ती से पालन करते हुए राष्ट्रपति ने विचार मांगने के लिए मसौदा विधेयक को केरल राज्य विधायिका के पास भेजा था।
- **अनुसूची संशोधन:** यह अधिनियम 'केरल' प्रविष्टि को 'केरलम' से बदलने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पहली अनुसूची (First Schedule):** भारतीय संविधान का वह घटक जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के साथ सूचीबद्ध करता है।
- **भाषाई पुनर्नामकरण (Linguistic Renaming):** स्थानीय सामाजिक-भाषाई और सांस्कृतिक उपयोग के साथ तालमेल बिठाने के लिए आधिकारिक भौगोलिक नामकरण को बदलने की प्रक्रिया।
- **राष्ट्रपति का संदर्भ (Presidential Reference):** अनुच्छेद 3 के तहत अनिवार्य संवैधानिक अभ्यास जिसमें राष्ट्रपति निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधायिका को राज्य-पुनर्गठन या नाम बदलने का विधेयक भेजते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 3:** संसद को साधारण बहुमत से कानून बनाकर नए राज्य बनाने, सीमा रेखाएं बदलने या किसी भी राज्य का नाम बदलने का एकमात्र अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 3 का परंतु (Proviso to Article 3):** यह अनिवार्य करता है कि किसी राज्य का नाम या सीमा बदलने वाला कोई भी विधेयक संबंधित राज्य विधायिका के विचार प्राप्त करने के बाद ही केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 4:** यह स्पष्ट करता है कि पहली अनुसूची में संशोधनों को शामिल करने वाले अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, जिसके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक का पारित होना भारतीय संघवाद की गतिशील प्रकृति को सुदृढ़ करता है। मानक संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई लोकाचार का सम्मान करके, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उप-राष्ट्रीय पहचान के साथ राष्ट्रीय एकीकरण का संतुलन बनाती है।

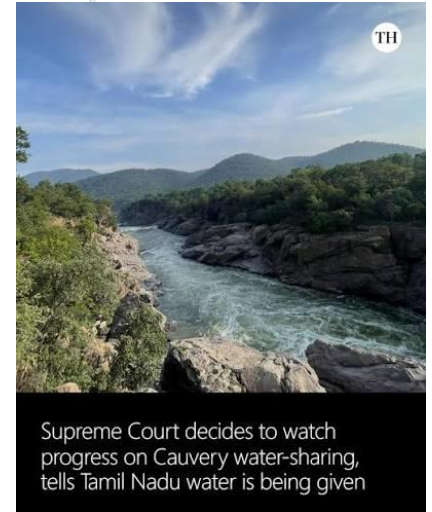
यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (राज्यव्यवस्था एवं शासन) के लिए संघ और उसका क्षेत्र, संघ और राज्यों के कार्य एवं जिम्मेदारियां, संघीय ढांचा और राज्यों का पुनर्गठन, और संसद एवं राज्य विधानमंडलों की भूमिका जैसे विषयों के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण।

4. कावेरी जल बंटवारे पर सर्वोच्च न्यायालय ने 'देखें और प्रतीक्षा करें' (Wait and Watch) की नीति अपनाई

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **न्यायिक टिप्पणी:** कर्नाटक द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों के अनुसार कावेरी का 12,000 क्यूसेक से अधिक जल छोड़े जाने की पुष्टि के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने 'देखें और प्रतीक्षा करें' का रुख अपनाते हुए तत्काल अतिरिक्त निर्देश देने से इनकार कर दिया।
- **CWMA जनादेश:** कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु में निचले प्रवाह की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12 अगस्त से शुरू होकर 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया।
- **संकटकालीन आवंटन कारक (Distress Allocation Factors):** कर्नाटक ने एल नीनो स्थितियों के कारण बिगड़े संकटग्रस्त वर्ष का हवाला दिया, लेकिन कंबिनी जलाशय के वायनाड जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय बारिश के कारण आवश्यक पानी छोड़ने के स्तर को प्राप्त कर लिया।
- **अंतर-राज्यीय मांग में असमानता:** तमिलनाडु ने 12-31 अगस्त के लिए 37 टीएमसी फीट पानी छोड़ने और खड़ी फसलों को बचाने के लिए 21.357 टीएमसी फीट के संचित घाटे की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
- **बिलिगुंडलू में निगरानी:** अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिलिगुंडलू अंतर-राज्यीय गेज स्टेशन पर कृष्णराज सागर (KRS) और कंबिनी जलाशयों से छोड़े जाने वाले पानी को सक्रिय रूप से मापा जाता है।



Supreme Court decides to watch progress on Cauvery water-sharing, tells Tamil Nadu water is being given

आवश्यक परिभाषाएं

- **क्यूसेक बनाम टीएमसी फीट:** क्यूसेक प्रवाह दर (घन फीट प्रति सेकंड) को मापता है, जबकि टीएमसी फीट (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) संग्रहीत या जारी किए गए कुल पानी के आयतन (volume) को मापता है।
- **संकटकालीन वर्ष का सूत्र (Distress Year Formula):** सामान्य से कम मानसून वर्षा के दौरान तटवर्ती राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से आवंटन को कम करने के लिए लागू एक न्यायसंगत जल-साझाकरण तंत्र।
- **तटवर्ती अधिकार (Riparian Rights):** किसी प्राकृतिक जलमार्ग के किनारे स्थित भूमि स्वामियों या प्रशासनिक क्षेत्रों के इसके पानी के उचित उपयोग के संबंध में कानूनी अधिकार।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित, जो एक ट्रिब्यूनल का गठन होने के बाद अंतर-राज्यीय नदी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रोकता है; वर्तमान हस्तक्षेप अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका) पर निर्भर करते हैं।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2019 ढांचा:** समय-सीमा को सुव्यवस्थित करने और बहु-स्तरीय मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल और एक विवाद निवारण समिति (DRC) का प्रस्ताव करता है।

निष्कर्ष

कावेरी विवाद संकट के वर्षों के दौरान ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्यों की जरूरतों को संतुलित करने की सतत चुनौती को उजागर करता है। अंतर-राज्यीय संघीय तनाव को कम करने के लिए स्थायी, स्वचालित डेटा-निगरानी प्रणालियों की स्थापना और CWMA संकट-साझाकरण सूत्रों का सख्ती से पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (राजव्यवस्था एवं शासन) के तहत अंतर-राज्यीय जल विवाद, संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध, और न्यायिक हस्तक्षेप, साथ ही सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (भूगोल) के तहत नदी बेसिन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

5. कर्नाटका ने खाद्य सुरक्षा के लिए 'ईट राइट' (Eat Right) अभियान शुरू किया

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **राज्यव्यापी शुभारंभ:** कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने पूरे राज्य में स्वस्थ आहार आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "ईट राइट" अभियान शुरू किया।
- **विकेंद्रीकृत सतर्कता:** जमीनी स्तर पर भोजन की निगरानी को क्रियान्वित करने के लिए तालुका स्तर पर नागरिक नेतृत्व वाली खाद्य सुरक्षा निगरानी टीमों (watch teams) का गठन किया जा रहा है।
- **विविध सामुदायिक भागीदारी:** व्यापक क्षेत्र निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी टीमों में वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अनुभवी शेफ (रसोइये) शामिल हैं।
- **आधिकारिक प्राधिकरण:** नामित टीम के सदस्यों को आधिकारिक पहचान पत्र प्राप्त होंगे जो उन्हें भोजनालयों और सार्वजनिक खाद्य परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करेंगे।
- **रिपोर्टिंग और प्रवर्तन:** खाद्य सुरक्षा के उल्लंघनों का खुलासा करने वाले निरीक्षणों को त्वरित कार्यकारी कार्रवाई के लिए सीधे मुख्यालय को भेजा जाएगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ईट राइट मूवमेंट (Eat Right Movement):** FSSAI के सिद्धांतों के अनुरूप एक राष्ट्रीय पहल जिसका उद्देश्य देश की खाद्य प्रणाली को बदलना है ताकि सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित किया जा सके।

- **तालुका-स्तरीय प्रशासन:** जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, नियामक और विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार उप-जिला प्रशासनिक इकाई।
- **खाद्य सुरक्षा निगरानी (Food Safety Surveillance):** सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यास के योजना और मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता के आंकड़ों का निरंतर व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 47:** राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जो राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का जनादेश देता है।
- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:** सर्वोपरि कानूनी ढांचा जिसने विभिन्न खाद्य कानूनों को समेकित किया और खाद्य निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना की।
- **स्वास्थ्य का अधिकार (अनुच्छेद 21):** सर्वोच्च न्यायालय ने मानव गरिमा के आवश्यक घटकों के रूप में स्वच्छ, अपमिश्रित (unadulterated) भोजन और सुरक्षित पेयजल के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का बार-बार विस्तार किया है।



निष्कर्ष

कर्नाटक का समुदाय-संचालित दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा और मानक ढांचे के तहत जमीनी स्तर पर नियामक प्रवर्तन को मजबूत करता है। संस्थागत निगरानी मॉडल में स्थानीय नागरिकों को एकीकृत करने से खाद्य सुरक्षा अनुपालन में सुधार होता है और नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा मिलता है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

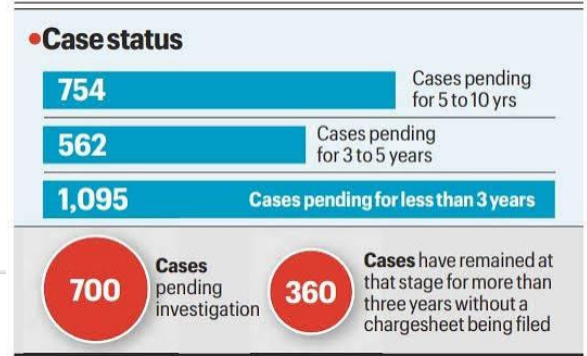
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (शासन और सामाजिक न्याय) के तहत स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (राज्यव्यवस्था) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 47), और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के तहत खाद्य सुरक्षा और नियामक ढांचे के लिए अत्यंत प्रासंगिक।

6. सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक मामले लंबित: एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **मामलों का भारी बकाया:** एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) विजय हंसारिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सौंपी गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्तमान और पूर्व विधायकों/सांसदों के खिलाफ 4,192 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 519 मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।

- **जांच में देरी:** लगभग 700 मामले जांच के लिए लंबित हैं, जिनमें से 360 मामले आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल किए बिना तीन साल से अधिक समय से ठप पड़े हैं।
- **राज्यवार लंबित मामले:** उत्तर प्रदेश 1,171 मामलों के साथ देश भर में लंबित मामलों में सबसे आगे है, इसके बाद केरल (543), बिहार (373), महाराष्ट्र (364), और ओडिशा (330) का स्थान है।
- **हार्ड-प्रोफाइल संलिप्तता:** 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता लंबित आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जो राजनीति और अपराध के प्रणालीगत प्रतिच्छेदन (intersection) को दर्शाता है।
- **देरी के कारण:** रिपोर्ट में लगातार हो रही देरी का कारण नियमित न्यायिक कार्य के बोझ से दबी नामित विशेष अदालतों, बार-बार स्थगन, आरोपी विधायकों/सांसदों की गैर-उपस्थिति और उच्च न्यायालय की अपर्याप्त निगरानी को बताया गया है।
- **एमिकस की सिफारिशें:** प्रस्तावित उपायों में जनप्रतिनिधियों के मामलों के लिए विशेष दैनिक सुनवाई, लगातार दो तारीखों पर उपस्थित न होने पर गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करना, गवाहों की सुरक्षा के लिए नोडल अभियोजन अधिकारी, और आरोप तय होने के एक वर्ष के भीतर मुकदमों को पूरा करना शामिल है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae - न्यायालय मित्र):** अदालत द्वारा किसी मामले में कानून के मामलों पर जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके सहायता करने के लिए नियुक्त एक निष्पक्ष कानूनी विशेषज्ञ।
- **राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics):** राजनीतिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि, आरोपों या सजा वाले व्यक्तियों का प्रवेश।
- **जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालतें:** वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्थापित समर्पित न्यायिक मंच।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 (धारा 8):** निर्दिष्ट अपराधों के लिए सजा मिलने पर जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता को नियंत्रित करता है, जिसमें न्यूनतम दो साल के कारावास की सजा होती है।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(4) को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि दोषी ठहराए गए वर्तमान सांसदों और विधायकों को अपील करने के समय के बिना तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018):** मतदाताओं को सूचित करने के लिए राजनीतिक दलों को मीडिया प्लेटफॉर्मों पर राजनीतिक उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
- **अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21:** कानून के समक्ष समानता का संवैधानिक सिद्धांत (अनुच्छेद 14) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों का लगातार लंबित रहना लोकतांत्रिक अखंडता और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना, सख्त समयबद्ध सुनवाई तंत्र निर्धारित करना और उच्च न्यायालयों द्वारा कठोर न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना चुनावी पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (राजव्यवस्था एवं शासन) के तहत चुनावी सुधार, राजनीति का अपराधीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, न्यायिक जवाबदेही और फास्ट-ट्रैक अदालतें, और शक्तियों का पृथक्करण/कानून का शासन जैसे विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

7. इसरो (ISRO) GISAT-1A के प्रक्षेपण के साथ परिचालन विराम समाप्त करेगा

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- प्रक्षेपण सेवाओं की बहाली:** लगातार प्रक्षेपण विसंगतियों (anomalies) के कारण सात महीने के परिचालन विराम के बाद, इसरो सितंबर की शुरुआत में GISAT-1A भू-प्रेक्षण उपग्रह (Earth observation satellite) को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है।
- भू-इमेजिंग (Geo-Imaging) क्षमताएं:** GISAT-1A (जिसे EOS-05 भी नामित किया गया है) में 10 साल का मिशन जीवनकाल है, जिसे आपदा निगरानी, कृषि और वानिकी प्रबंधन के लिए निकट-वास्तविक समय (near real-time) इमेजिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- हालिया प्रक्षेपण झटके:** 2025 और 2026 में प्रयास किए गए छह मिशनों में से तीन उपग्रहों को इच्छित कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रहे, जिसमें PSLV-C62/EOS-N1 मिशन और GSLV-F15/NVS-02 प्रक्षेपण शामिल हैं।
- NavIC तारामंडल की भेद्यता (Vulnerability):** NVS-02 की विफलता ने NavIC को केवल तीन परिचालन स्थिति उपग्रहों (IRNSS-1B, IRNSS-1I, NVS-01) के साथ छोड़ दिया है, जो स्टैंडअलोन क्षेत्रीय स्थिति निर्धारण (regional positioning) के लिए आवश्यक न्यूनतम चार-उपग्रहों के मानदंड से कम है।
- आगामी प्रक्षेपण पाइपलाइन:** इसरो का लक्ष्य नवंबर में NVS-03 को प्रक्षेपित करना है, जबकि वह अपने संशोधित वार्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए PSLV, GSLV, LVM3 और SSLV से जुड़े कई मिशनों को लक्षित कर रहा है।



After January launch vehicle debacle, GISAT-1A take-off in September to end ISRO's seven-month operational hiatus



आवश्यक परिभाषाएं

- **जियो इमेजिंग सैटेलाइट (GISAT):** विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की निरंतर, वास्तविक समय (real-time) निगरानी सक्षम करने के लिए भू-स्थिर कक्षा में स्थापित एक भू-प्रेक्षण उपग्रह।
- **NavIC (भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन):** भारत की स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली जो भारतीय भूभाग और आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और समय (PNT) सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- **पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT):** मूलभूत उपग्रह बुनियादी ढांचा सेवाएं जो भौगोलिक स्थिति, दिशा और अत्यधिक सटीक समय संदर्भ प्रदान करती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** IN-SPACe और NSIL के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में व्यावसायीकरण, परिचालन प्रबंधन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित करती है।
- **कार्य आबंटन नियम, 1961 (Allocation of Business Rules, 1961):** अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह संचार और प्रक्षेपण यान विकास को सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाले अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अधिकार क्षेत्र में सौंपता है।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 (Outer Space Treaty, 1967):** बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता राज्य है।

निष्कर्ष

आगामी GISAT-1A और NVS-03 मिशन इसरो की परिचालन गति को बहाल करने और भारत के रणनीतिक नेविगेशन बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालिया तकनीकी विसंगतियों पर काबू पाना अंतरिक्ष-आधारित आपदा लचीलापन और क्षेत्रीय नेविगेशनल स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अनिवार्य होगा।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

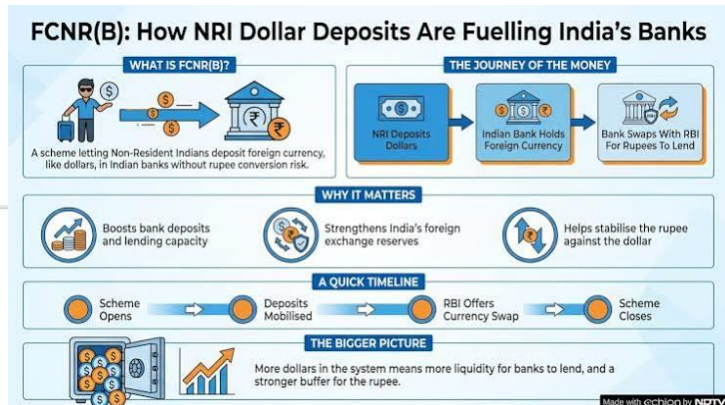
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के तहत प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता, और आपदा प्रबंधन अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

8. रुपये की उधार ली गई राहत की सांस: FCNR(B) स्वैप और बाह्य क्षेत्र के जोखिम

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **FCNR(B) के माध्यम से पूंजी जुटाना:** भारतीय बैंकों ने आरबीआई की विशेष स्वैप सुविधा के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रवाह में \$52.3 बिलियन जुटाए, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR(B)] जमाओं द्वारा संचालित थे।
- **समय पूर्व विंडो बंद होना:** डॉलर के प्रवाह में तेजी से वृद्धि के बाद केंद्रीय बैंक ने FCNR(B) स्वैप विंडो को निर्धारित समय से एक महीने पहले बंद कर दिया।

- **सार्वजनिक बैलेंस शीट पर हेजिंग जोखिम का स्थानांतरण:** उच्च डॉलर उपज (6-7.5%) की पेशकश करने के लिए हेजिंग लागत को अवशोषित करके, आरबीआई ने प्रभावी रूप से मुद्रा जोखिम को सार्वजनिक बैलेंस शीट पर स्थानांतरित कर दिया।
- **अल्पकालिक BOP स्टेबलाइज़र बनाम टिकाऊ पूंजी:** उधार लिया गया प्रवाह टिकाऊ अर्जित विदेशी मुद्रा के बजाय एक अस्थायी भुगतान संतुलन (BoP) बफर के रूप में कार्य करता है, जो 3-5 वर्षों में भविष्य के पुनर्भुगतान और रोलओवर देनदारियां उत्पन्न करता है।
- **परिसंपत्ति-देयता बेमेल चिंता:** रियायती जमा संग्रहण पर अत्यधिक निर्भर रहने से मुद्रा बाजार का दबाव बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट की कमजोरियों में बदलने का जोखिम रहता है।
- **संरचनात्मक बाह्य सुधारों की आवश्यकता:** दीर्घकालिक रुपये की स्थिरता प्राप्त करने के लिए ऋण-जैसी परिसंपत्तियों पर निर्भर रहने के बजाय मर्चेडाइज (वस्तु) निर्यात को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का विस्तार करने और ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **FCNR(B) जमा:** भारत में अधिकृत बैंकों में अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा बनाए रखा गया एक विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग का जमा खाता, जो घरेलू मुद्रा विनिमय जोखिम से सुरक्षित रहता है।
- **कैरी ट्रेड (Carry Trade):** कम ब्याज दरों वाली मुद्रा में पूंजी उधार लेने और इसे कहीं अधिक उपज वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने से जुड़ी एक वित्तीय रणनीति।
- **परिसंपत्ति-देयता बेमेल (ALM):** किसी वित्तीय संस्थान की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच परिपक्वता (maturity), ब्याज दरों या मुद्रा मूल्यवर्ग में असमानता से उत्पन्न होने वाला एक वित्तीय जोखिम।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में सीमा पार व्यापार, विदेशी मुद्रा जमा, बाहरी उधार और विदेशी मुद्रा बाजार के संचालन को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढांचा।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 17):** विनिमय दर स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री स्वैप निष्पादित करने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और मौद्रिक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 292:** केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है, जो राष्ट्रीय ऋण प्रबंधन और बाहरी देनदारियों के लिए संवैधानिक आधार रेखा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

हालांकि FCNR(B) स्वैप मुद्रा के मूल्यहास के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं, वे भविष्य की ऋण सेवा प्रतिबद्धताओं को जन्म देते हैं। भारत को टिकाऊ भुगतान संतुलन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में संरचनात्मक सुधार लागू करने के हेतु इस अस्थायी राहत की अवधि का लाभ उठाना चाहिए।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, विकास, भुगतान संतुलन (BoP), विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

9. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADC): वापसी के बजाय सुधार

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- NALSA का निर्देश और बार का विरोध:** नालसा (NALSA) ने लीगल एड डिफेंस काउंसल्स (LADC) के अनुबंधों के गैर-नवीनीकरण का निर्देश दिया। यह निर्णय बार एसोसिएशनों की उन आपत्तियों के बाद लिया गया, जिनमें दावा किया गया था कि यह प्रणाली एक समानांतर आपराधिक बार बनाती है और निजी वकालत के अभ्यास के लिए खतरा पैदा करती है।
- संस्थागत मामलों पर प्रभाव:** वर्ष 2025-26 में, LADC ने 4,86,354 मामलों (जिसमें 1,88,878 जमानत आवेदन शामिल हैं) को संभाला, जो सालाना शुरू किए जाने वाले कुल आपराधिक मामलों का केवल 1.6% प्रतिनिधित्व करता है।
- पब्लिक डिफेंडर मॉडल की ओर बदलाव:** पारंपरिक तदर्थ (ad-hoc) असाइन किए गए वकील योजनाओं के विपरीत, LADC ने तुरंत उपस्थिति, उचित जमानत आवेदन और संरचित सुनवाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पूर्णकालिक, समर्पित जन रक्षकों (public defenders) की शुरुआत की।
- असाइन-काउंसेल की कमियों को दूर करना:** LADC ने तदर्थ कानूनी सहायता की पुरानी कमियों, जैसे छूट गई सुनवाई, विलंबित याचिकाएं और कम जवाबदेही को संबोधित किया।
- अनुभवहीन प्रतिस्थापन पर चिंताएं:** युवा, अनुभवहीन वकील को मामले सौंपने की ओर वापस लौटने से मुकदमों की रणनीति, जिरह (cross-examination) की गुणवत्ता और गरीब आरोपियों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों से समझौता होने का जोखिम है।
- अनुभवजन्य मूल्यांकन की आवश्यकता:** एक राष्ट्रीय प्रभाव आकलन के बिना संस्थागत कानूनी सहायता मॉडल को समाप्त करना हाशिए पर मौजूद नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को कमजोर करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) सिस्टम:** सरकारी वित्त पोषित अदालतों में गरीब व्यक्तियों के लिए समर्पित आपराधिक रक्षा प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए NALSA द्वारा कार्यान्वित एक पूर्णकालिक पब्लिक डिफेंडर मॉडल।
- असाइन-काउंसेल सिस्टम:** एक पारंपरिक कानूनी सहायता योजना जहां निजी पैनलबद्ध अधिवक्ताओं को मामले के आधार पर मामले सौंपे जाते हैं।

- **निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार:** सार्वभौमिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय जो एक अभियुक्त व्यक्ति को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व, समय पर सुनवाई और पर्याप्त रक्षा तंत्र की गारंटी देते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 39A:** राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जो राज्य को समान न्याय हासिल करने और उपयुक्त विधान या योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का जनादेश देता है।
- **अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22(1):** जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में वंचित आरोपियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता (हुसैन आरा खातून मामला) और कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार शामिल है।
- **कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987:** लोक अदालतों को आयोजित करने और राष्ट्रव्यापी कानूनी सहायता सेवाओं को संचालित करने के लिए NALSA, SALSA और DLSA की स्थापना करता है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 304 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 341:** विचारण कार्यवाही के दौरान राज्य के खर्चे पर आरोपी को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता को अनिवार्य बनाती है।

निष्कर्ष

संस्थागत कानूनी सहायता को मजबूत करने के लिए खंडित मॉडलों पर लौटने के बजाय जवाबदेही ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। गरीब विचाराधीन कैदियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बचाव को सुनिश्चित करना समान न्याय और निष्पक्ष सुनवाई अधिकारों के संवैधानिक वादे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (राज्यव्यवस्था एवं शासन) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 39A), न्यायिक सुधार और न्याय तक पहुंच, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, और कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय जैसे विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

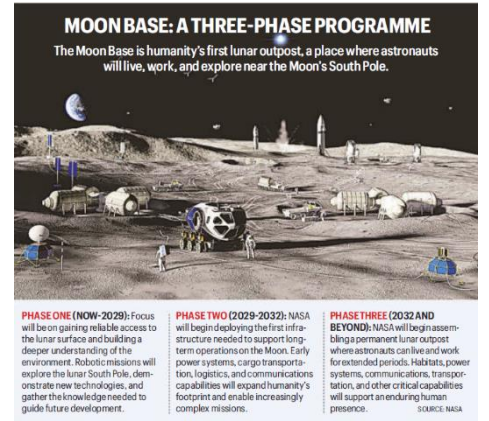
Dream | Dare | Deliver

10. नासा (NASA) के मून बेस प्रोग्राम में भारत के रणनीतिक लाभ

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **उद्घाटन सहयोग:** नासा (NASA) ने इसरो (ISRO) को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता की पहली स्थायी चंद्र चौकी स्थापित करने के लिए अपने तीन-चरणीय मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
- **समझौतों (Accords) को आगे बढ़ाना:** यह साझेदारी 27वें देश के रूप में भारत द्वारा 2023 में आर्टेमिस समझौतों पर हस्ताक्षर करने और हाल के द्विपक्षीय मानव अंतरिक्ष उड़ान जुड़ाव पर आधारित है।
- **प्रौद्योगिकी में छलांग (Technological Leapfrogging):** इसमें शामिल होने से इसरो को मूलभूत प्रणालियों का पुनर्गठन किए बिना जटिल, लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष उड़ान और चंद्र संसाधन मिशन की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने में महत्वपूर्ण अनुभव मिलता है।

- **लागत दक्षता:** सहयोगात्मक तैनाती विशाल बजट के बोझ को कम करती है, जिससे एकल प्रयासों की तुलना में दीर्घकालिक चंद्र संचालन और अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है।
- **गैर-विरोधी गतिशीलता:** शून्य-संचय (zero-sum) महत्वपूर्ण तकनीक क्षेत्रों के विपरीत, आर्टेमिस समझौतों के तहत अंतरिक्ष अन्वेषण गैर-एकाधिकारवादी है, जो सभी राष्ट्रों के लिए चंद्र संसाधनों तक खुली पहुंच को संरक्षित करता है।
- **अत्यधिक निर्भरता से बचाव:** साझा बुनियादी ढांचे को अपनाने के दौरान, इसरो को अपने संप्रभु रणनीतिक लक्ष्यों को बनाए रखना चाहिए और अमेरिकी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मून बेस प्रोग्राम:** नासा की चरणबद्ध चंद्र परियोजना जिसका उद्देश्य चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास स्थायी मानव और रोबोटिक उपस्थिति के लिए आवास, बिजली और रसद बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
- **आर्टेमिस अकॉर्ड्स (Artemis Accords):** नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण, संसाधन उपयोग और नागरिक राष्ट्रों के बीच अंतर-संचालनीयता (interoperability) के लिए सिद्धांत स्थापित करने वाला एक अमेरिकी-नेतृत्व वाला गैर-बाध्यकारी ढांचा।
- **भारत अंतरिक्ष स्टेशन:** भारत का नियोजित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जिसकी परिकल्पना सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान और स्वतंत्र निम्न-पृथ्वी कक्षा मानव मिशनों का समर्थन करने के लिए की गई है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967:** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण को अनिवार्य बनाने वाली और खगोलीय पिंडों के राष्ट्रीय विनियोग (appropriation) को प्रतिबंधित करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** घरेलू अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करती है, IN-SPaCe और NSIL के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करती है।
- **कार्य आबंटन नियम, 1961:** अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह संचालन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों को सीधे अंतरिक्ष विभाग (DoS) की देखरेख में सौंपता है।

निष्कर्ष

नासा के मून बेस पर सहयोग करना इसरो को अपनी तकनीकी परिपक्वता में तेजी लाने के लिए एक व्यावहारिक, लागत प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। घरेलू रणनीतिक लक्ष्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तालमेल को संतुलित करना यह सुनिश्चित करता है कि दीर्घकालिक वित्तीय जोखिमों को कम करते हुए भारत एक प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बना रहे।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के तहत अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के तहत द्विपक्षीय गठबंधन और अंतरिक्ष भू-राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

11. खान और खनिज विधेयक पर केंद्र-राज्य विवाद

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- राज्य लेवी पर विधायी प्रतिबंध:** खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का पारित होना राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर निर्दिष्ट लेवी (levies) लगाने से रोकता है।
- न्यायिक मिसाल को दरकिनार करना:** यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 2024 के फैसले (MADA बनाम SAIL) का सीधे मुकाबला करता है, जिसने खनिज अधिकारों पर कर लगाने और ऐतिहासिक बकाए को एकत्र करने की राज्यों की संवैधानिक शक्तियों को बरकरार रखा था।
- बकाया बकाए की समाप्ति:** यह कानून इसके प्रवर्तन से पहले राज्य द्वारा लगाए गए उपकरणों से उत्पन्न होने वाले अवैतनिक या असूल न किए गए बकाए को समाप्त करता है, जिसकी कीमत खनन क्षेत्र में लगभग ₹2 लाख करोड़ है।
- राजकोषीय एकरूपता के लिए केंद्रीय औचित्य:** केंद्र सरकार का तर्क है कि अनियंत्रित राज्य-स्तरीय उपकरण प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की लागत को बढ़ाते हैं, जिससे व्यापक मुद्रास्फीति बढ़ती है और बुनियादी ढांचे का खर्च बढ़ता है।
- राज्य का विरोध और राजस्व चिंताएं:** खनिज समृद्ध राज्य विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं, उनका तर्क है कि कर शक्तियों में कटौती से उनकी गैर-कर राजकोषीय क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है और यह संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
- उद्योग की लागत-नियंत्रण:** खनन विशेषज्ञ विधेयक को एक महत्वपूर्ण लागत-नियंत्रण उपाय के रूप में देखते हैं जो कई, अप्रत्याशित उपकरणों को समाप्त करता है और निवेश निश्चितता को बढ़ावा देता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- खनिज अधिकार (Mineral Rights):** किसी निर्दिष्ट भूमि के भूखंड की सतह के नीचे स्थित खनिजों की खोज करने, निकालने और उनसे लाभ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार।
- रॉयल्टी (खनन):** गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए एक पट्टाधारक (leaseholder) द्वारा खनिज मालिक (आमतौर पर राज्य सरकारों) को किया जाने वाला एक वैधानिक संविदात्मक भुगतान।
- राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism):** सरकार के केंद्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों, कराधान अधिकारों और व्यय जिम्मेदारियों का विभाजन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- सातवीं अनुसूची का आवंटन:** प्रविष्टि 54, संघ सूची (जनहित में संसद द्वारा घोषित सीमा तक खानों और खनिज विकास का विनियमन) और प्रविष्टि 50, राज्य सूची (संसद द्वारा लगाए गए सीमाओं के अधीन खनिज अधिकारों पर कर) के बीच विभाजित।
- प्रविष्टि 49, राज्य सूची:** राज्य विधानमंडलों को भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार देती है, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से राज्यों द्वारा खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए किया जाता है।

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:** खनिज रियायतों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख केंद्रीय ढांचा, जिसे अब राजकोषीय मापदंडों को केंद्रीकृत करने के लिए धारा 13 और धारा 9D के तहत संशोधित किया गया है।
- **MADA बनाम SAIL (2024):** सर्वोच्च न्यायालय की 8:1 संविधान पीठ का निर्णय जिसमें माना गया कि रॉयल्टी एक कर नहीं है और प्रविष्टि 50 के तहत राज्यों की विधायी क्षमता की पुष्टि की गई।

निष्कर्ष

MMDR संशोधन विधेयक, 2026 राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरीकरण और उप-राष्ट्रीय राजकोषीय स्वायत्तता के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है। जबकि महत्वपूर्ण खनिज निवेश के लिए अनुमानित कराधान आवश्यक है, स्थायी शासन के लिए खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए निष्पक्ष राजस्व-साझाकरण तंत्र के साथ-साथ संरचित केंद्रीय दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (राजव्यवस्था एवं शासन) के तहत संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, विधायी और वित्तीय शक्तियों का वितरण, और संवैधानिक सूचियों की न्यायिक व्याख्या, तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के तहत खनिज क्षेत्र शासन, संसाधनों को जुटाना, और मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

12. 'निरर्थक' (Frivolous) उद्योगों पर कर लगाने से भारत के विज्ञान को वित्तपोषित नहीं किया जा सकेगा

प्रमुख मुख्य अंश एवं सार

- **त्रुटिपूर्ण कराधान की धारणा:** वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए आईपीएल (IPL), सिनेमा या पर्यटन जैसे तथाकथित "गैर-बौद्धिक" उद्योगों पर कर लगाने के प्रस्ताव शून्य-संचय भ्रम (zero-sum fallacy) से उपजते हैं और इन क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न व्यापक रोजगार और आर्थिक स्पिलओवर की अनदेखी करते हैं।
- **संसाधन आवंटन की दुविधाएं:** अनुसंधान कोष का केंद्रीकृत राज्य वितरण अनिवार्य रूप से नौकरशाही अड़चनों, राजनीतिक पक्षपात, और स्वास्थ्य सेवा या पुलिसिंग जैसी प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक प्राथमिकताओं पर व्यक्तिपरक संघर्षों को जन्म देता है।
- **नौकरशाही खरीद की अक्षमताएं:** धन का कठोर वर्गीकरण (जैसे उपभोग्य सामग्रियों बनाम उपकरणों का कठोर वर्गीकरण) और वित्तीय वर्ष के अंत के व्यय नियम वैज्ञानिकों को वह खरीदने के लिए मजबूर करते हैं जो "अनुमत" है, न कि जिसकी "आवश्यकता" है।
- **GeM और आयात बाधाएं:** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से अनिवार्य खरीद और वैज्ञानिक उपकरणों पर उच्च आयात शुल्क अक्सर प्रयोगशालाओं को मानक से नीचे के उपकरणों से समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक अनुसंधान में देरी होती है।

- **निजी पूंजी और CSR बाधाएं:** बोझिल विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) नियम और प्रतिबंधात्मक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अनुपालन निजी बंदोबस्ती और दीर्घकालिक, उच्च-जोखिम वाले अनुसंधान निवेशों को हतोत्साहित करते हैं।
- **सुधार का मार्ग:** भारतीय विज्ञान में सतत विकास के लिए पूंजी प्रवाह चैनलों को उदार बनाने, अनुसंधान उपकरणों पर जीएसटी/आयात शुल्क उठाने, यूजीसी अधिनियम के तहत भर्ती में सुधार करने और राज्य पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **शून्य-संचय भ्रम (Zero-Sum Fallacy):** यह गलत धारणा कि एक क्षेत्र (जैसे खेल या मनोरंजन) में आर्थिक लाभ या प्रगति सीधे तौर पर दूसरे (जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान) के वित्तीय नुकसान पर होती है।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):** पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए भारत में केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के लिए अनिवार्य एक ऑनलाइन खरीद मंच।
- **अनुसंधान पूंजी उदारीकरण:** वैज्ञानिक संस्थानों में निजी, परोपकारी और विदेशी पूंजी के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक बाधाओं, आयात शुल्कों और अनुपालन बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** प्रत्येक नागरिक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010:** विदेशी दान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है, जिससे वैश्विक निजी अनुदान चाहने वाले अनुसंधान संस्थानों के लिए जटिल अनुपालन बाधाएं पैदा होती हैं।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135):** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय को अनिवार्य बनाता है, जहां वर्तमान नियम अनजाने में दीर्घकालिक वैज्ञानिक R&D पर अल्पकालिक, कम जोखिम वाले कल्याणकारी परियोजनाओं का पक्ष लेते हैं।
- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956:** उच्च शिक्षा संकाय भर्ती को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा, जिसके कठोर प्रावधान अक्सर वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभाओं को बनाए रखने में देरी करते हैं।

निष्कर्ष

भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तपोषित करने के लिए लाभदायक वाणिज्यिक उद्योगों को दंडित करने के बजाय संरचनात्मक विनियमन (deregulation) की आवश्यकता है। बोझिल खरीद मानदंडों को समाप्त करने, अनुसंधान उपकरणों पर शुल्क कम करने और निजी परोपकारी पूंजी के लिए दरवाजे खोलने से एक गतिशील, विश्व स्तरीय अनुसंधान वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

यूपीएससी उपयोगिता (UPSC Relevance)

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के तहत प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास, R&D फंडिंग और निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित मुद्दे, तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (शासन) के तहत विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा वैधानिक और नियामक निकाय (UGC) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

AUGUST 18, 2026

